(a) the steps that have been taken by Government to study the working of Basic Education in different States and to find how far it has achieved its objectives;

(b) whether attempts have been made to follow a certain pattern of Basic Education;

(c) if so, on what lines; and

(d) what is the number of Basic Education Schools in Madhya Pradesh at present?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) The Government of India has set up a National Board of Basic Education for the purpose.
(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) In 1959-60 which is the latest year for which statistical information is available with the Government of India, the number of Basic Schools in Madhya Pradesh was as follows:

Junior Basic Schools.	2369
Senior Basic Schools.	297
Post Basic Schools.	Nil
Total:	2666

अनुसन्धान कर्ताओं को छात्रवृत्तियां

२४२२. **श्री युवराज दत्त सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६२ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां बांटने का काम अपने हाथ में ले लिया है, जबकि इस से पहले यह काम शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता था ; और

(ख) क्या जून, १९६२ तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन छात्रवृत्तियों को नहीं बांट पाया था ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) अनुसंधान कर्त्ताओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, नवम्बर, १९६१ में, शिक्षा मंत्रालय से ले लिया था ।

(ख) आयोग ने, छात्रवृत्तियों के संबंध में, फरवरी १९६२ में अपने निर्णय घोषित किये और जून, १९६२ से पहले बहुत से अनुसंधान कर्त्ताओं को उन की छात्रवृत्ति-राशियां भी दे दीं ।

दिल्ली मे अवैध शराब

२४२३. **श्री युवराज दत्त सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले ६ महीनों में दिल्ली में नाजायज शराब बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने अपराधी पकड़े गये ; और

(ग) उन को क्या दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) और (ख). १६-२-६२ से १५-८-६२ तक की अवधि में नाजायज शराब का व्यापार करने के सम्बन्ध में पकड़े गये अपराधियों की संख्या बढ़ने का निश्चित कारण बताना सम्भव नहीं है । इस अवधि में यह संख्या ८०२ थी जबकि सन् १९६१ की तत्सम् अवधि में यह संख्या ६८२ थी । नाजायज शराब के व्यापार में बढ़ोतरी और अधिकारियों की अधिक सतर्कता आदि इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं ।

(ग) पकड़े गये ८०२ व्यक्तियों में से ४४७ का चालान किया गया है तथा १९१ दोषी सिद्ध हुए हैं । दोषी ठहराये गये व्यक्तियों को दी गई सजायें निम्न प्रकार हैं :—

व्यक्तियों की संख्या	दी गई सजा
१४	१० रुपये से ३०० रुपये तक विभिन्न जुर्माने ।